

दिनांक
पंजीयन एवं संचालन
संख्या: 2010/1000

दिनांक

प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री
एन एमएल के माध्यम से औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान
एन एमएल के माध्यम से

सूचना संख्या

डी-3/2010/1000/संसुति संख्या दिनांक

16/9/2011

विषय - राष्ट्रीय समिति की निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर निजी औद्योगिक कंपनियों के व्यवसाय/मुद्रितों का स्वामी संस्थानों
प्रदान किये जाने के बारे में क्या निर्देशात्मक संस्कार एन प्रशिक्षण, डी0डी0डी0डी नई दिल्ली 4 नवंबर 2011
समिति द्वारा लिखे गये निर्देशों की सूचना के सम्बन्ध में।

संदर्भ

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में आपको सूचित किया जाता है कि आपके संस्थान से सम्बंधित स्वामी संस्थानों के
निरीक्षण रिपोर्ट दिनांक 28-06-2011 पर दिनांक 30-06-2011 को महाविदेशात्मक, संस्थापक एन प्रशिक्षण, नई
दिल्ली में राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद् की उप समिति की बैठक सम्पन्न हुई। उप समिति द्वारा आपके संस्थान से
सम्बंधित उक्त निरीक्षण रिपोर्ट के बारे में जो निर्देश लिखे गए हैं, उसका उद्घरण व्यवसायिक नीचे प्रकृत किया जा रहा
है-

क्रम सं०	व्यवसाय/एक-क विप्लव के लिए संस्थान/केंद्र द्वारा स्वामी संस्थान का अनुबंध किया गया।		संसुति की गयी		अवधि
			स्वामी समिति द्वारा	डी0डी0डी0डी द्वारा	
1	2	3	4	5	
1-	Fitter	04(2+2)	04(2+2)	04(2+2)	SCIR-28/06/11 SIR-24-12-10 SIR-29-04-11 W.e.f Aug 2011
DGET-6/24/202/2010-TC DATED 30/06/2011					

प्रयोग किये गये संकेत-

- (1) एन0डी0डी0डी0डी-स्वामी समिति की निरीक्षण रिपोर्ट
- (2) एन0डी0डी0डी0डी-पूरक निरीक्षण रिपोर्ट
- (3) डी0डी0डी0डी0डी-विभागीय निरीक्षण रिपोर्ट
- (4) एन0डी0डी0डी0डी-विचारणीय
- (5) एन0डी0डी0डी0डी-संसुति नहीं किया गया।
- (6) एन0डी0डी0डी0डी-विचार नहीं किया गया।

2. आपसे अपेक्षा की जाती है कि भारत सरकार द्वारा स्थापित गैर कर्मियों/मुद्रितों का निराकरण सम्बन्धीयतः कार्य
अपनी आस्था विन्दुकार तब तक स्थित दो प्रतिबन्धों में इस निर्देशात्मक को अविलम्ब प्रेषित करें। ताकि अधिक कार्यवाही
की जा सके।

विशेष - यह भी स्पष्ट किया जाता है कि भारत सरकार द्वारा यदि आपके संस्थान से संबंधित व्यवसायों को सम्बन्धित प्रकृत
रिपोर्ट में है तो आप इन व्यवसायों में प्रवेश न करें। इन सम्बन्धित व्यवसायों को प्रशिक्षण विभाग की आशानी अर्थात्
भारतीय व्यावसायिक परीक्षा में सम्मिलित नहीं करना चाहेगा, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व आपको होगा।

भवदीय

अपर निदेशक (प्रशिक्षण/सिख)
16/9/2011

पत्रांक 5455/2-3/2010/1000/संसुति/ तददिनांकित
प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण/सिख) संस्थान को इस आशय से प्रेषित कि वह उपरोक्त विशेष विन्दु पर विशेष ध्यान दे
तथा सम्बंधित संस्थान/केंद्र को भी अपने स्तर से अवगत करावे।
2. सम्बंधित संस्थान/केंद्र की व्यवस्थागत प्रणाली हेतु।
3. फाई फाइल हेतु।
4. उप निदेशक (व्यवसायिक परीक्षा परिषद् अतीत, संस्थान)।

(संयुक्त निदेशक)
अपर निदेशक (प्रशिक्षण/सिख)
16/9/2011

प्रेषक

निदेशक
प्रशिक्षण एवं सेवायोजन
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

सेवा में

प्रधानाचार्य / प्रबन्धक
देवी प्रसाद सिंह प्राइवेट औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र
सुबानगर, सुबानगरपुर।

30/11/2013

पत्रांक / टी-3/रा040/म08स0संस्तुति लखनऊ दिनांक 2012
विषय स्थायी समिति/विभाग की निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर मिजी औ090 केंद्रों के व्यवसाय/पुनियों का स्थायी सम्बन्धन प्रदान किये जाने के बारे में महा निदेशालय सेजगार एवं प्रशिक्षण, डी0जी0ई0टी0 नई दिल्ली में गठित उप समिति द्वारा लिये गये निर्णय की सूचना के सम्बन्ध में।

महोदय

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में आपको सूचित किया जाता है कि आपके केंद्र की स्थायी समिति/विभागीय निरीक्षण रिपोर्ट दिनांक 26-03-2012 पर दिनांक 28-05-2012 को महानिदेशालय, सेवायोजन एवं प्रशिक्षण, नई दिल्ली में राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद की उप समिति की बैठक सम्पन्न होगी। उप समिति द्वारा आपके सम्बन्धन से सम्बन्धित उक्त निरीक्षण रिपोर्ट के बारे में जो निर्णय लिया गया है, उसका उद्घरण व्यवसायवार नीचे अंकित किया जा रहा है-

क्रम सं०	व्यवसाय/एकक जिनके लिए संस्थान/केंद्र द्वारा स्थायी संबन्धन का अनुरोध किया गया।	संस्तुति की गयी		अभ्युक्ति
		स्थायी समिति द्वारा	डी0जी0ई0टी0 द्वारा	
1	2	3	4	5
1-	Fitter Addl. 02 Units		Addl.2 unit Total 6(2+2+2)	DIR-26/03/12 SIR-09/05/2012 w.e.f. Aug.2012
DGET-6/24/202/2010-TC DATED 28/05/2012				

प्रयोग किये गये संकेत:-

- (1) एस0सी0आई0आर0-स्थायी समिति की निरीक्षण रिपोर्ट
- (2) एस0आई0आर0-पूरक निरीक्षण रिपोर्ट
- (3) डी0आई0आर0-विभागीय निरीक्षण रिपोर्ट
- (4) यू0सी0-विद्यार्थी
- (5) एन0आर0-संस्तुति नहीं किया गया।
- (6) एन0सी0-विद्यार्थी नहीं किया गया।

2 आपसे अपेक्षा की जाती है कि भारत सरकार द्वारा बताई गई कमियों/त्रुटियों का निराकरण समयांतरगत करके अपनी आख्या बिन्दुवार सक्षम सहित दो प्रतिषों में इस निदेशालय को अकिलम्ब प्रेषित करें। ताकि अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

विशेष - यह भी स्पष्ट किया जाता है कि भारत सरकार द्वारा यदि आपके संस्थान के वांछित व्यवसायों को मान्यता प्रदान नहीं की गई है तो आप इन व्यवसायों में प्रवेश न करें। इन अमान्य व्यवसायों के प्रशिक्षार्थियों को आगामी अखिल भारतीय व्यावसायिक परीक्षा में सम्मिलित नहीं कराया जायेगा, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा।

भवदीय


अपर निदेशक (प्रशि/शिक्ष)

पत्रांक : /टी-3/रा040/म08स0संस्तुति, तददिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1. संयुक्त निदेशक (प्रशि/शिक्ष)लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि वह उपरोक्त विशेष बिन्दु पर विशेष ध्यान दे तथा संबंधित संस्थान/केंद्र को भी अपने स्तर से अवगत करावे।
- 2. संबंधित संस्थान/केंद्र की व्यक्तितगत पत्रावली हेतु।
- 3. माई फाइल हेतु।
- 4. उप निदेशक, व्यवसायिक परीक्षा परिषद अलीगज, लखनऊ।

(सदुत देय)
अपर निदेशक (प्रशि/शिक्ष)